संख्या- 60/2025/001-583-24-1-2025-14 P-2005

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांवो एवं हैमलेट के विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–314/अधि0नि0 (वित्त)/निधि-2/आर0(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 23 जून, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विदयुतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विदयुतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2049-01-200-03-32 के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 63,39,71,000/- (रूपये तिरसठ करोड़ उनतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 62,41,16,878/- (रूपये बासठ करोड़ इक्तालिस लाख सोलह हजार आठ सौ अठहत्तर मात्र) में से धनराशि रूपये 16,92,80,430/- (रूपये सोलह करोड़ बांनवे लाख अस्सी हजार चार सौ तीस मात्र) को आर0ई0सी0 नई दिल्ली द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,92,80,430 (रुपये सोलह करोड़ बानबे लाख अस्सी हजार चार सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2049012000300 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मानक मद 32 ब्याज/लाभांश (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-27-X-2025-26-दिनांक:1-7-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-60/2025/001-583(1)-24-1-2025-14 P-2005, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।